

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(फार्म अनुभाग)

लखनऊः दिनांकः दिसम्बर,28 , 2012

आदेश

अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या-1213070 दिनांक 11-12-2012 के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 एवं केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीयन आवर्त) नियमावली-1957 के नियम-12 में प्राविधानित प्रपत्र-सी को नोडल अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर एवं यूजर आई.टी. पासवर्ड का प्रयोग करके आन लाइन डाउन लोड करते हुए कर निर्धारण अधिकारियों के माध्यम से ऐसे सम्ब्यवहारियों जो एतदर्थ प्रचलित आन लाइन व्यवस्था का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, को कम्प्यूटरीकृत फार्म-सी उपलब्ध कराये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था करायी गयी थी। इस सम्बन्ध में आई.टी. अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में नोडल अधिकारियों को आवंटित डिजिटल सिग्नेचर निष्ठाभावी हो चुके हैं, और नये डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था में समय लगेगा। इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया है कि नोडल अधिकारियों के मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराते हुए उन्हें One Time Password की व्यवस्था के अन्तर्गत उनसे उक्त फार्म-सी डाउन लोड कराये जा सकते हैं।

2- अतः आई.टी. अनुभाग द्वारा दिये गये सुझाव पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त आदेश दिनांक 11-12-2012 को इस सीमा तक परिमार्जित किया जाता है कि नोडल अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर के स्थान पर One Time Password (O.T.P.) व्यवस्था के अनुसार उक्त फार्म-सी डाउन लोड कराये जायेंगे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त अधिकारियों के मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराये जायेंगे। तत्पश्चात उक्त अधिकारियों द्वारा अपने विभागीय User-ID एवं Login Password के माध्यम से फार्म-सी डाउनलोडिंग हेतु विकल्प देने पर S.M.S. के माध्यम से उक्त अधिकारियों के उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर One Time Password (O.T.P.) प्राप्त हो जायेगा जिसका प्रयोग करके सम्बन्धित अधिकारी फार्म-सी डाउन लोड कर सकेंगे। उक्त O.T.P. दोबारा प्रयोग नहीं किया जायेगा, और आगे डाउनलोडिंग के लिए उपर्युक्तानुसार नया O.T.P. प्राप्त करके फार्म-सी डाउनलोड किये जायेंगे।

आदेश दिनांक 11-12-2012 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तदनुसार उक्त अधिकारियों के मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराते हुए साप्टवेयर में संशोधन कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

(हिमांशु कुमार)

कमिशनर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर/ मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 2- निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
- 3- उभय संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- मुख्यालय के समस्त एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर।

- 5- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया इस व्यवस्था से समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
- 6- ज्वाइंट कमिश्नर (आईटी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया प्रपत्र-38 की डानउलोडिंग व्यवस्था में प्रपत्र-38 लिंक हटाकर उसके स्थान पर फार्म-सी लिंक डलवाने की व्यवस्था करें।
- 7- मुख्यालय के फार्म, सचल दल, विअनुशासा0, मैनुअल, नई इकाई, जनसूचना, केन्द्रीय सचल दल इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 के0 पाण्डेय)

एडी0 कमिश्नर (फार्म) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
मुख्यालय, लखनऊ।